राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1889/2012 .....जिला–हनुमानगढ।

उनवान – मैसर्स भारत कॉटन जिनिंग राईस एण्ड दाल मिल, पिलिबंगा बनाम 1. उपायुक्त (अपील्स) बीकानेर 2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी, हनुमानगढ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.06.2014	**खण्डपीठ** **श्री जे.आर.लोहिया – सदस्य** **श्री मदन लाल – सदस्य** पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (संक्षेप में **"अपीलीय अधिकारी"**) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (संक्षेप में **"वेट अधिनियम"**) की धारा 38(4) के तहत पारित आदेश दिनाक 22.06.2012 के विरूद्व वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उनके समक्ष लम्बित अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र को, जिसमें कि सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त बी, हनुमानगढ (संक्षेप में **"कर निर्धारण अधिकारी"**) द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.04.2012 में सृजित मांग राशि रू 13,50,486 की वसूली पर रोक लगाए जाने को खारीज किया हैं। अपीलार्थी की ओर से श्री वी.के.पारीक एवं प्रत्यर्थी की ओर से अनिल पोखरणा की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी का वर्ष 09–10 का वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधित कर निर्धारण आदेश दिनांक 19.04.2012 में अपीलार्थी द्वारा नरमा कपास से बिनौला व उससे खल (कर मुक्त वस्तु) निर्माण करने के कारण वेट अधिनियम की धारा 18(1)(c) के तहत आनुपातिक रूप से आगत कर का मुजरा अस्वीकार किया गया। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधित कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है जो कि धारा 33 के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तर्क के समर्थन मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **(2011) 29 टैक्स अपडेट 253** मैसर्स मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी प्रकरण का हवाला दिया है। अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में **मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, श्रीगंगानगर 32 टैक्स अपडेट पेज 3** के निर्णय की अनुपालना में आनुपातिक आगत कर का दावा अस्वीकार किया है जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरूद्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की जा चुकी है जिसे विचारार्थ स्वीकार कर लिया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **AIR 1992 SC 956** के आधार पर लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1889/2012 .....जिला–हनुमानगढ।

उनवान – मैसर्स भारत कॉटन जिनिंग राईस एण्ड दाल मिल, पिलिबंगा बनाम 1. उपायुक्त (अपील्स) बीकानेर 2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी, हनुमानगढ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(2)	
13.06.2014	उक्त दुर्गेश्वरी प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इसी निर्णय के आधार पर माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स रूची सोया इण्डस्ट्रीज में निर्णय में 21 वेट रिपोर्टर 123 में अपीलार्थी की अपील स्वीकार की गई। माननीय मध्यप्रदेश न्यायालय के निर्णय के विरूद्व सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। इस याचिका को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्गेश्वरी प्रकरण के साथ सुनवाई हेतु संलग्न किया गया है। उनका कथन कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्गेश्वरी प्रकरण में याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर लिया गया है इसलिए प्रस्तुत प्रकरण में भी वसूली पर रोक प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए। अग्रिम कथन किया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी न्यायालय के समक्ष किसी प्रकरण में यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय उद्वरित किया गया हो तो उसका अनुसरण करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अभाव में क्षेत्राधिकारित माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना करनी चाहिए तथा उक्त दोनो के अभाव में अन्य उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना की जानी चाहिए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **SPCWP No. 2196 / 2011** मैसर्स नवदुर्गा इण्ड बनाम राजस्थान राज्य प्रकरण में स्थगन आदेश दिनांक 28.03.2014 स्वीकृत किया गया है इसलिए प्रस्तुत प्रकरण में समान तथ्यों पर आधारित होने के कारण स्थगन स्वीकार किया जाये। अग्रिम कथन यह भी किया कि अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार कर नॉन–स्पीकींग आदेश पारित किया है। तर्क के समर्थन में राजस्थान उच्च न्यायालय के **(2013) 58 वी.एस.टी. 53** मैसर्स शौभा सरिया इंजि. कॉलेज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रकरण का दृष्टांत पेश किया है। उक्त आधारो पर प्रकरण मे सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में होने के कारण अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। प्रत्यर्थी के विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुये कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दुर्गेश्वरी प्रकरण में (**32 टैक्स अपडेट 03**) के अनुसरण में अपीलार्थी के वर्ष 09–10 में पूर्व पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 02.02.2012 को संशोधित कर विवादित मांग सृजित की हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च लगातार.....3	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1889/2012 ....जिला–हनुमानगढ।

उनवान – मैसर्स भारत कॉटन जिनिंग राईस एण्ड दाल मिल, पिलिबंगा बनाम 1. उपायुक्त (अपील्स) **बीकानेर 2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी, हनुमानगढ।**

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज**	**नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए**
	(3)	
13.06.2014	न्यायालय के मैसर्स भारत पैट्रोलियम प्रकरण (AIR 1992 SC 956) को विचारित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार निर्णय पारित किया है। इसलिए विद्धान अधिवक्ता द्वारा उद्वरित माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय **21 वेट रिपोर्टर 123** का अनुसरण नहीं किया जा सकता। अग्रिम कथन किया कि मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लि. के प्रकरण मे अपीलार्थी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की कियान्विति पर रोक नहीं लगायी इसलिए राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधित कर निर्धारण आदेश विधिसम्मत रूप से पारित किया गया है। अग्रिम कथन यह भी किया कि अपीलीय अधिकारी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दुर्गेश्वरी प्रकरण में पारित निर्णय के प्रकाश में विवादित अपील आदेश पारित किया है जो कि पूर्णतया स्पीकिंग आदेश हैं। विद्धान उप राजकीय अधिकारी ने अपील के विद्धान अभिभाषक के तर्को का इस प्रकार खण्डन करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने, कर निर्धारण अधिकारी के आदेश व अपील आदेश का अवलोकन करने, अपील आधारो एवं उद्वरित न्यायिक निर्णयों का अध्ययन करने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दुर्गेश्वरी प्रकरण (**32 टैक्स अपडेट 03**) में पारित प्रतिपादित सिद्धांत की पालना में कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दुर्गेश्वरी प्रकरण के निर्णय के विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की कियान्विति पर रोक स्वीकार नही की गई है इसलिए विधि के मान्य सिद्धांत अनुसार क्षेत्राधिकारित उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रभावी रहते अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णय पर विचार नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी के विद्धान अभिभाषक द्वारा उद्वरित निर्णय **SBCIVILWP 2196 / 11** में तथ्यों के समान होने संबंधी कोई विवरण अंकित नहीं हैं इसलिय यह निर्णय प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता हैं। अपीलीय अधिकारी ने अपील आदेश में बकाया वसूली पर रोक स्वीकार करते हुये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दुर्गेश्वरी निर्णय मे पारित निर्णय के प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या सुविधा संतुलन प्रत्यर्थी विभाग के पक्ष में पाते हुये वसूली पर रोक संबंधि प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया है। प्रकरण मे इस खण्डपीठ के सुविचारित मत में प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में नहीं होने के कारण अपील आदेश की पुष्टि की जाकर अपील अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय सुनाया गया। 13.6.2014 (मदन लाल) **सदस्य** (जे.आर.लोढ़िया) **सदस्य**	